न्यायालय सहायक कलक्टर,निम्बाहेड़ा
संतराबाई बनाम रामकन्या
प्रकरण संख्या - 219/2019 वाद
GCMS No. - 2019/00591

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

(पीठासीन अधिकारी – विकास पंचोली आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 219/2019 वाद
GCMS No. – 2019/00591

1. संतरा बाई (संध्या) पुत्री भगवानलाल जी जाति गाडरी (गायरी) निवासी गादोला हा०मु० पत्नी रामलाल जी जाति गायरी नि० केली तहसील निम्बाहेडा

–वादीया

बनाम

1. श्रीमति रामकन्या पत्नी स्व० भगवानलाल जी जाति गाडरी निवासी गादोला तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
2. श्री राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेडा राज०

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वादिया का वाद पत्र अन्तर्गत धारा–88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 पर्याप्त सबूतों के परिपेक्ष्य में स्वीकार किया जाता है एवं मौजा गादोला पटवार हल्का गादोला के आराजी नम्बर 1425 रकबा 0.0100 हेक्टेयर ट्युबवेल, आराजी नम्बर 1426 रकबा 1.8900 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.9000 हेक्टेयर भूमि एवं मौजा बांगरेडा पटवार हल्का बांगरेडा के आराजी नम्बर 941 रकबा 0.2700 हेक्टेयर, 944 रकबा 0.2500 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 951 रकबा 0.1900 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 952 रकबा 0.1900 हैक्टेयर भूमि, आराजी नम्बर 1154 रकबा 0.1300 हेक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 1.1200 हेक्टेयर भूमि में संध्या पुत्री भगवानलाल गायरी के बजाए संतराबाई पुत्री भगवानलाल गायरी के नाम खातेदारी में घोषित किया जाता है। शेष जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। तहसीलदार निम्बाहेड़ा उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करें। बैंक रहन होने पर यथावत रखा जावें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 22.08.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.14 13:46:23 IST
Reason: SelfAttested

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ)

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा